न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 238 / 2020 निर्णय दिनांक :–28.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

कालू पुत्र रामअवतार जाति उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. रामअवतार पुत्र माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेमलाल पुत्र स्व0 माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सोपाल पुत्र स्व0 माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हंजा पुत्री स्व0 माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. मंजू पुत्री स्व0 माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. प्रेम देवी पुत्री स्व0 माता नाथी जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सीतारामपुरा कॉलोनी, (गांवड़ी) तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. लादूराम पुत्र मांगीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. कमला देवी पत्नी लादूराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी पोल्याड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. तहसीलदार, तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. शाखा प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा देवली जिला टोंक

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4, 5
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 3, 6, 7 ता 8

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिए रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 को साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम थांवला प0 ह0 थांवला तहसील देवली जिला टोंक खातेदार सोदान पुत्र गोपाल उर्फ

..किल मीणा निवासी ग्राम थांवला से कय किया था। तब से ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है । तहसील देवली में हाल में भू प्रबन्ध कार्यवाही हुई है जिसके अनुसार साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा के हाल खसरा न0 2862 रकबा 1.00 है0 बने है। जिसके हाल खसरा न0 2437 रकबा 1.00 है0 बने है। प्रार्थना पत्र के चरण सं0 2 में वर्णित प्रार्थी की खरीदशुद्धा एवं कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजीयात जिसके हाल उपरोक्तानुसार नम्बर बनाये है। साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 को अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की माता स्व0 नाथी पुत्री अमरी एवं स्व0 लादी पुत्री माता अमरी देवी एवं स्व. अमरी देवी पत्नी भूरा ने अवैध एवं अवैधानिक तरिके से अपने नाम लगवा ली है। जिसका उन्हें किसी प्रकार से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के चरण न० 2 में वर्णित कयशुद्धा भूमि जो अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 की माता स्व० नाथी पुत्री अमरी एवं स्व० लादी पुत्री माता अमरी देवी एवं स्व० अमरी देवी पत्नी भूरा ने अवैध रूप से एवं अवैधानिक तरिके से अपने नाम लगा ली है इसका एक वाद उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थी ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, टोंक के यहां मिशल सं0 71/98 उनवान कालू बनाम श्रीकिशन वगैरह के नाम से पेश किया था। जिसमें अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 की माता मु0 नाथी पुत्री भूरा व स्व0 लादी पुत्री भूरा व मु0 अमरी बैवा भूरा जाति मीणा निवासी थांवला तहसील देवली भी बतौर पक्षकार अप्रार्थीगण थी। उक्त वाद का निर्णय माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय टोक द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई कर दिनांक 18.08.1999 को निर्णय पारित कर प्रार्थी का वाद डिकी कर साबिक खसरा न0 1275 रकबा 4 बीघा जिसके भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खसरा न0 2862 रकबा 1.00 है0 भूमि ग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोंक को प्रार्थी को बतौर खातेदार घोषित कर रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया था। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय टोंक में द्वारा उक्त वाद सं0 71/98 निर्णय दिनांक 18.08.1999 द्वारा निर्णय करने के बाद प्रार्थी ने उक्त वाद के निर्णय की पालना में निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सहित प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष कितनी ही मर्तबा पेश किए थे। लेकिन प्रार्थी अनपढ़, किसान काश्तकार होने एवं प्रार्थी के पुत्रो की अकस्मात बारी–बारी से मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार मानसिक रूप से विचलित हो गया था एवं उक्त वाद के निर्णय की पालना करवाने हेतु प्रतिप्रार्थी सं0 8 के यहां उपस्थित होकर सम्पर्क नही कर पाया था इस कारण उक्त बाद की पालना में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण नही भरा गया था एवं निर्णय की पालना नहीं की गई थी। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की माता नाथी पुत्री भूरा की मृत्यु हो चुकी है। स्व० नाथी की मृत्यु के पश्चात वाद वर्णित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तरण अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गया था। इस कारण अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 के मन में अब बेइमानी आ गई है वे उक्त आराजी को प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को अप्रार्थीगण सं0 3 ब 6 द्वारा गलत रूप से दिनांक 01.05.2019 को अप्रार्थीगण सं0 8 के नाम विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर पंजीयन करवा दिया एवं अप्रार्थीगण सं0 2, 4 व 5 द्वारा गलत रूप

प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

से दिनांक 10.04.2019 को अप्रार्थीगण सं० 1 के नाम हकत्याग कर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण सं० 1 व अप्रार्थीगण सं0 8 के नाम रिकार्ड में अमल दरामद करवा दिया गया है। वाद सं0 71/98 निर्णय दिनांक 18.08.1999 में अप्रार्थीगण सं0 9 मु० लादी पुत्री भूरा जाति मीणा पत्नी सांवला मीणा निवासी पोल्या तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ने नामान्तरण सं0 2180 दिनांक 27.10.2016 द्वारा प्रार्थी के वाद पत्र के चरण नं० 1 में वर्णित कयशुद्वा भूमि में से हिस्सा 1/2 को गलत रूप से अप्रार्थीगण सं0 7 के नाम विक्रय कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दी। अप्रार्थी संख्या 8 के नाम पंजीयन करवाने व स्व0 मु0 लादी पत्नी भूरा जाति मीणा पत्नी सांवला मीणा निवासी पोल्या द्वारा जरिए विकय पत्र के अप्रार्थीगण सं0 7 के नाम प्रार्थी की जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के कब्जे काश्त की कयशुद्वा भूमि को पंजीयन करवाने के कारण व राजस्व रिकार्ड में प्रतिप्रार्थी सं० 1 व 7 ता 8 का नाम गलत रूप से बतौर खातेदार दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण सं0 1 व 7 ता 8 प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के चरण न0 2 में वर्णित आराजी भूमि को छीन लेने की धमकी दे रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने आपको विकय पत्र दिनांक 16.11.1978 के द्वारा एवं उक्त दिनांक से मौके पर लगातार निर्बाध रूप से कब्जे काश्त के आधार पर उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। यदि प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है तो उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ती नही हो सकेगी एवं प्रार्थी अपने जायज हक से महरूम हो जावेगा। प्रार्थी रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 16.11.78 द्वारा कय की हुई उपरोक्त वर्णित आराजी जिनका वह खातेदार काश्तकार हैं। जिनको अप्रार्थीगण 1 ता 6 की माता स्व० नाथी पुत्री भूरा व स्व0 लादी पुत्री भूरा व इनकी माता मु० अमरी बैवा भूरा ने अवैधानिक रूप से अपने नाम लगवा लिया है और उक्त अवैधानिक तरीके से अपने नाम लगवाई गई भूमि को अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 द्वारा गलत रूप से विक्रय करने पर आमादा है एवं अप्रार्थीगण सं0 7 ता 8 ने प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा न0 2437 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला को गलत रूप से फर्जी तरीके से कब्जे के अभाव में कय की है और अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सांठ–गांठ कर इन्द्राज करवाया है। इस कारण अवैधानिक तरिके से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 7 ता 8 प्रार्थी की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाकर प्रार्थी को जबरन लटठ के बल पर प्रार्थी से उनकी आराजी को छीनना चाहते है। प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए अब प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण सं० 1 ता 8 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा हमेशा के लिए पाबन्द करवाये कि जरिए स्वंय या अन्य किसी नोकर व दीगर व्यक्ति के प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की से मजामहत नही करें व प्रार्थी की कयशुद्वा भूमि साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा जो खातेदार श्योदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकल मीणा निवासी ग्राम थांवला से कय की गई थी। जिसके भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खसरा न0 2862 रकबा 1.00 है0 हाल खसरा न0 2437 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला पह० थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज० को किसी भी अन्य व्यक्ति के रहन, दान, बेचान, दसीयत नही करें एवं पाबन्द रहें। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण

प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

को ताफैसला मूलवाद तक अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि विकय पत्र दिनांक 16.11.1978 से प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से कय की गई भूमि एवं उक्त दिनांक से मौके पर लगातार निर्वाद रूप से कब्जे काश्त के आधार पर आराजी भूमि साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा जो खातेदार श्योदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकल मीणा निवासी ग्राम थांवला से कय की गई थी। जिसके भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खसरा नं0 2862 रकबा 1.00. है० हाल खसरा न0 2437 रकबा 1.00 है० भूमि वाके ग्राम थांवला प0ह0 थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 में से अप्रार्थीगण सं० 1 व 7 ता 8 का नाम तर्क कर प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम हाल जमाबन्दी में अंकित किया जावे एवं प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा जो खातेदार श्योदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकल मीणा निवासी ग्राम थांवला से कय की गई थी, जिसके भू० प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये खसरा नं. 2862 रकबा 1.00 है0 हाल खसरा न0 2437 रकबा 1.00 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला प0ह0 थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज0 को किसी भी अन्य व्यक्ति के रहन, दान, बेचान, वसीयत नही करें एवं पाबन्द रहें।

अप्रार्थीण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी नं0 1, 2, 4, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास तुनगारिया ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नं० 1 में वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार है शेष ईबारत गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं० 2 गलत है स्वीकार नहीं है। साबिक खसरा नं० 1275 का खातेदार सोदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकल मीणा नहीं था और यदि साबिक खसरा नं0 1275 का खातेदार उक्त सोदान नहीं था, तो उक्त खसरा नम्बर को प्रार्थी खरीद ही नहीं सकता था। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। साबिक खसरा नं० 1275 भूरा पुत्र माधो की खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। भूरा फौत होने पर उक्त भूमि में भूरा की विरासत अप्रार्थी नं० 1 ता 6 की माता स्वं. नाथी, लादी पुत्री भूरा, अमरी देवी पत्नि भूरा, के नाम विरासत हुई जिसका इन्द्राज भू–प्रबन्धक के खसरा पत्रक में है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 गलत है स्वीकार नहीं है। 6. यह कि प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 7 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 8 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 9 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 10 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से साबिक खसरा नं0 1275 सेटलमेन्ट के दौरान बनाये गये हाल खसरा नं० 2862 एवं नया राजस्व ग्राम बनने से नये खसरा नम्बर 2437 रकबा 1.00 है0 में किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। मुलायजा हो विशेष आपत्तियाँ। **विशेष आपत्तियाँः**–आराजी साबिक खसरा नं0 1275 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम थांवला हाल खसरा नं० 2862 रकबा 1.00 है0 नये खसरा नं0 2437 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम थांवला तहसील देवली, जिला–टोंक राज० स्थित भूमि से प्रार्थी का कोई लेना देना एवं सम्बन्ध नहीं

प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

है। उक्त भूमि अप्रार्थी नं० 1 ता 6 की माता व प्रेमलाल नाथी व नाथी की बहिन लादी व नाथी व लादी की माता अमरी पत्नि भूरा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है व इनसे पूर्व उक्त भूमि साबिक खसरा नं० 1275 लादी, नाथी, अमरी के पिता/पति भूरा पुत्र माधो मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है एवं इनकी मृत्यु के बाद व लादी नाथी अमरी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी नं० 1 ता 6 का हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। तथा आज भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है एवं इनकी मृत्यु के बाद व लादी नाथी अमरी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी नं० 1 ता 6 का हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आज भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–प्रा0पत्र का चरण नं. 1 गलत है, स्वीकार नहीं है,। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, वादी ने जिस श्योदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकुल मीणा निवासी पता है जो विक्रयपत्र रजि० करवाया है यह गलत है श्यौदान 6ज010 1275 का खातेदार का कार नहीं है तथा कब्जा भी प्रार्थी का नही है देखाऐ विशेष आपत्तियां प्रा0पत्र का चरण न0 3 स्वीकार है । प्रा0 पत्र का चरण नं. 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है, स्वीकार नही है । प्रा०पत्र का चरण नं. 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है । वादी द्वारा जो निर्णय दिनांक 10–8–99 को पारित करवाया है, वह भी न्यायालय से तथ्य छिपाकर पारित करवाया है । प्रा0पत्र का चरण न0 6 गलत है स्वीकार नहीं है । प्रा०पत्र का चरण न0 7 भी जिस प्रकार वर्णित किया गया गलत है स्वीकार नहीं है। प्रा. पत्र का चरण नं0 8 जिस प्रकार वर्णित किया गया है, गलत है, स्वीकार नही है। प्राणपत्र का चरण न० 9 भी जिस प्रकार वर्णित किया गया गलत है, स्वीकार नही है। प्रा०पत्र का चरण नं0 10 भी गलत है, स्वीकार नहीं है, जब प्रार्थी का मौके पर कब्जा ही नहीं है तो उसे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में चाही गयी अधियाचना भी बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है। प्रा.पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज करने योग्य है। **विशेष आपत्तियां** :–वास्तविकता यह है कि साबिक ख0न0 1275 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम थांवला भूमि भूरा पुत्र माधो कोम मीणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात थी। भूरा के मरने के बाद उक्त आराजियात उसके कायम मुकामान स्व. नाथी पुत्री, लादी पुत्री एवं अमरीदेवी बेवा स्व0 भूरा की खातेदारी में नियमानुसार सही रूप से लगायी गयी थी । प्रार्थी ने साबिक ख० न० 1275 रकबा 4 बीघा भूमि का विक्रय पत्र दिनाक 16–11–78 को गलत रूप से स्वंय के नाम पंजीयन करवाया है जब कि श्योदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकुल मीणा की खातेदारी में उक्त साबिक खसरा नम्बर नही था । उपपंजीयक महोदय को गलत तथ्य बताकर

उक्त विक्रयपत्र स्वयं के नाम तस्दीक कराया है । वादी ने उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वितीय के यहां गलत रू॰ से उक्त वाद को दिनांक 18–8–99 को डिक्री करवाया है उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और कानून के अनुसार उक्त डिग्री निरस्त हो चुकी है। उक्त डिकी के आधार पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। वर्तमान में हाल ख. नं. 2437 रकबा 1.00 है0 के प्रतिवादी सं० 7 व 8 खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रतिवादी न0 7 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीया न0 8 का 1/6 हिस्सा है तथा 1/3 हिस्सा प्रतिपक्षी नं. 1 का है । उक्त हिस्से अनुसार प्रतिपक्षीगण मोके पर काबिज है । प्रतिवादी नं. 7 व 8 ने उक्त भूमि को जरिये रजि0 विक्रयपत्र खरीदा है और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सही रूप से नामान्तरकरण खोला गया है, प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी न0 7 व 8 के पक्ष में किये गये विकय पत्र को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनोती नही दी है माननीय न्यायालय को रजि0 विक्रयपत्र को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, तथा उपखण्ड अधिकारी द्वितीय टोक द्वारा पारित डिक्री की पालना भी नही करवायी जा सकती है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के यहां जो वाद डिक्री करवाया है उसमें प्रतिपक्षीगण की फर्जी तामील करवायी गयी है तथा फर्जी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर गलत रूप से वाद डिक्री कराया है। प्रार्थी को खातेदार के खिलाफ वाद पेश करने का अधिकार नहीं है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का भी अधिकार नहीं है ।

अतः जवाब प्रापत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रा०पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 3 व 6, 7 ता 8 की ओर से भी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रा0पत्र का चरण नं. 1 गलत है स्वीकार नही है। प्रा०पत्र का चरण न0 2 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रा0पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। प्रा० पत्र का परण न० 4 गलत है स्वीकार नही है । प्रा.पत्र का चरण नं0 5, 6, 7, 8, 9, 10, व अधियाचना बिल्कुल गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थनापत्र मय हर्जा खारिज करने योग्य है। **विशेष आपत्तियाः**–प्रतिपक्षी स० 3 व 6 ने अपना हिस्सा जरिये रजि० विक्रयपत्र कमला देवी पत्नी लादूराम को बेचान कर दिया था और उसके आधार पर उसके नाम नामान्तरकरण खुल चुका है और मोके पर काबिज है। कालू द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जेरबार व परेशान करने की नियत से पेश किया गया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र श्रीमानकी सेवामे पेश है ।

अप्रार्थीगण संख्या 9 व 10 औपचारिक पक्षकार होने से इनके जवाब/बहस की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने जरिए रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 को साबिक खसरा न० 1275 रकबा 4 बीघा भूमि वाके ग्राम थांवला प0 ह0 थांवला तहसील देवली जिला टोंक खातेदार सोदान पुत्र गोपाल उर्फ गोकल मीणा निवासी ग्राम थांवला से कय किया था। साबिक ख. नं. 1275 के भू प्रबन्ध विभाग ने ख. नं. 2862 रकबा 1.00 है0 बना दिया जिसके हाल ख. नं. 2437

प्रमाणित
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)

रकबा 1.00 है0 बने है। उपखण्ड अधिकारी द्वितिय टोंक की मिसल संख्या 71/98 में नाथी, लादी, व अमरी पक्षकार थी, जिसमें विधिवत निर्णय दिनांक 18.08.1999 को निर्णय कर प्रार्थी का वाद डिकी कर दिया, जिसकी पालना में निर्णय की सत्य प्रतिलिपी सहित माननीय न्यायालय में पेश कर दिया था जिसको प्रार्थी ने समझा कि उसका कार्य हो गया परन्तु निर्णय की पालना नहीं हो सकी और प्रार्थी भी अनपढ होने व उसके पुत्रों की अकस्मात मृत्यु होने के कारण मानसिक रूप से विचलित हो गया जिसके कारण निर्णय की पालना नहीं हो सकी। स्व. नाथी की मृत्यु हो गई जिसके कारण उक्त आराजी का नामान्तकरण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाम गलत रूप से खोल दिया गया जिसके बाद अप्रार्थी संख्या 3 व 6 द्वारा गलत रूप से दिनांक 01.05.2019 को अप्रार्थीगण संख्या 8 के नाम विक्रय कर पंजीयन करवा दिया व अप्रार्थीगण संख्या 2, 4 ता 5 ने गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 10.04.2019 को हक त्याग कर दिया । इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 9 मु0 लादी ने भी हिस्सा 1/2 को अप्रार्थीगण संख्या 7 के नाम विक्रय कर दिया । इस कारण से वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 व 4 ता 5 ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वर्णित भूमि सोदान की खातेदारी में ही नहीं थी तो प्रार्थी उस आराजी को कैसे खरीद सकता है। भू प्रबन्ध विभाग के खसरा पत्रक में ख. नं. 1275 का खातेदार भूरा पुत्र माधो था जिसने उक्त आराजी को नहीं बेचा है। उपखण्ड अधिकारी द्वितिय टोंक की के निर्णय भी गलत तरीके से करवाया गया है इस कारण से इस डिकी की पालना भी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 6 ता 8 ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में नहीं थी और अभी भी नहीं है। इस कारण से अप्रार्थी संख्या 3 व 6 ने अपनी खातेदारी भूमि को अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 8 को जरिये रजि. विक्रय पत्र विक्रय किया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त रजि. विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चुनोति नहीं दी हैं। प्रार्थी को खातेदार के खिलाफ न्यायालय में वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में दोहराया कि उक्त भूमि नियमानुसार 1977 में आवंटित भूमि है जिसका बेचान प्रार्थी को किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में शोदाना पुत्र गोपाला कोम मीणा के नाम ख. नं. 1275 दर्ज है। रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 से ख. नं. 1275 कालू पुत्र दियाला संलग्न पत्रावली है। भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल से साबिक 1275 से 2862 रकबा 1.00 है0 दर्शित है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय टोंक की मिसल सं. 71/98 दिनांक 18.08.99 में प्रार्थी के पक्ष में वाद डिकी किया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2046 व 2051–54, 2055–58, 2059–62, 2063–66, 2067–70 में ख. नं. 2862 की खातेदार अमरी,

प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
दूनी (टोंक)

र्थी व लादी दर्ज है। थांवला ने नये ग्राम श्रीनगर, भगवानवुरा, व गोविन्दपुरा बनने से ख. नं. 2862 के हाल ख. नं. 2437 बनना दर्शित है।

उक्त दस्तावेजो से जाहिर है कि प्रार्थी ने उक्त विवादित भूमि जरिये बयनामा कय की है और साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितिय टोंक की मिसल सं. 71/98 दिनांक 18.08.99 में प्रार्थी के पक्ष में वाद डिकी किया गया है परन्तु उक्त निर्णय की पालना नहीं होने से उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को जरिये विरासत/जरिये विकय पत्र/हकत्याग से खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुए है, जिनका निश्चयन वाद में साक्ष्य व सबूतो के माध्यम से हो सकेगा। हाल स्थिति में उक्त राजस्व दस्तावेजो, बहस व प्रार्थना पत्र से सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 2437 रकबा 1.00 है0, वाके ग्राम थांवला तह0 देवली जिला टोंक को विकय पत्र अथवा किसी अन्य माध्यम से हस्तान्तरण नहीं करे। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति उभयपक्ष पक्षकारान मूल वाद तक बनाये रखे। उक्त विवादित 2437 रकबा 1.00 है0, वाके ग्राम थांवला तह0 देवली जिला टोंक से सम्बन्धित अन्य प्रार्थना पत्र संख्या 254/2020 पर भी उक्त निर्णय/आदेश प्रभावी रहेंगे। इस पत्रावली के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 254/2020 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दोनो प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाद पूर्ति वाद के साथ पृष्ठ में हमफिता हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)